समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 01 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जनवरी, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

''किसे आरक्षण, किसे नहीं...तय करना कार्यपालिका व विधायिका का काम'' : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जस्टिस गवई ने कहा, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, जिन्हें पूर्व में लाभ मिलता रहा और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं, लेकिन यह निर्णय लेना कार्यपालिका और विधायिका पर है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ लिया और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में आ गए, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस

गवई ने कहा, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, जिन्हें पूर्व में लाभ मिलता रहा और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं, लेकिन यह निर्णय लेना कार्यपालिका और विधायिका पर है।

संविधान पीठ ने फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण करने का सांविधानिक अधिकार है, जिससे कि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। संविधान पीठ का हिस्सा रहे और अलग फैसला लिखने वाले जस्टिस गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी क्रीमीलेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से मना करना चाहिए। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें ऐसी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को कहा गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों को इस संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिए करीब छह माह बीत चुके हैं। इस पर पीठ ने कहा, हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। जब वकील ने संबंधित अथॉरिटी के समक्ष जाने के लिए याचिका वापस लेने का अनुरोध किया तो पीठ ने इसकी अनुमति दे दी।

संविधान पीठ ने उप-वर्गीकरण की दी थी इजाजत

वकील ने कहा कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अंतत: शीर्ष कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा तो अदालत ने कहा, कानून निर्माता वहां हैं। वे ही कानून बना सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, न कि मनमाने तरीके से राजनीतिक लाभ के आधार पर।

क्या आरक्षण को आर्थिक आधार पर बदल देना चाहिए? संविधान पर चर्चा के दौरान बोले देवेगौड़ा

राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा करते हुए पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने आरक्षण को आर्थिक बदलाव की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण जारी रखना चाहिए या इसे आर्थिक आधार पर बदल देना चाहिए।

पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एच डी देवेगौड़ा ने संसद में इस पर विचार करने का आह्वान किया कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण जारी रखना चाहिए या इसे आर्थिक आधार पर बदल देना चाहिए। राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि सदन को यह सोचना होगा कि अतीत में क्या हुआ और क्या हमें इस देश में सिर्फ गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए।

देवेगौड़ा का आरक्षण को लेकर सुझाव

देवेगौड़ा ने राज्यसभा में आरक्षण प्रणाली को लेकर सुझाव दिया कि सदन को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या आरक्षण को पहले जैसा जारी रखना चाहिए या केवल उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो सबसे ज्यादा गरीबी से पीड़ित हैं और जिनकी जीवन स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण अतीत में दिया गया, उसके बावजूद लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और जिनकी हालत खराब है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

पीएम मोदी कर सकते है फैसला. देवेगौड़ा

एचडी देवेगौड़ा ने आगे कहा कि अगर सदन इस मुद्दे पर विचार करता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के भाषण का जिक्र करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि यह आरक्षण और पिछले 75 वर्षों में देश के सामने आए अन्य मुद्दों पर एक फैसला करने वाला भाषण था।

अध्यक्ष की कलम से

''मानववाद बनाम राष्ट्रवाद''

साथियों,

काँग्रेस ! या कहिये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पर चर्चा से पहले दिमाग में ये प्रश्न आता है कि आखिर ये कौनसी पार्टी है? महात्मा गांधी के त्याग तपस्या से सींची गई पार्टी तो कदापि नहीं है। मानववाद को लेकर एक अंग्रेज ए.ओ.ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस में एनीबेसेंट जैसी विदुषी महिलाएँ भी थी। इसी काँग्रेस को महात्मा गांधी के तपोबल का फल मिला और अन्ततः देश को आजाद करवाने का श्रेय भी।

लेकिन यह दुखद और चौकाने वाला तथ्य है, कि मानववाद को लेकर चली पार्टी अब शुद्ध रूप में जातिवादी बनकर रह गई है। भले ही जात का कोई भी वाद न होता हो, लेकिन काँग्रेस ने पहले जातिवादी गणना और अब संविधान की तुलना मनुस्मृति से करके अपने उन्नत चरित पर कालिख पोत दी है।

संसद में गृहमंत्री द्वारा डॉ. अम्बेडकर के बारे में कहा गया- ''अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का किया जाता तो सात जन्मों का स्वर्ग मिलता''- ये वाक्य मुहावरे का दोहराव मात्र है। इसे कांग्रेस ने तोड़ मरोड़कर देश में आग लगाने का प्रयास किया तो जातिवादी ग्रुपो को मानों मुंहमांगी मुराद मिल गई। लेकिन दैवयोग से 02 अप्रैल 2018 वाला वातावरण नहीं बन पाया और देश जातिवादी आग में झुलसने से बच गया।

अपनी धुरि से हटी और जड़ों से खोखली काँग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिये कि उसका मानववाद सरकार के राष्ट्रवाद के सामने कहीं नहीं टिकता है। यदि अकेले राहुल की सोच को परम मानकर ये पार्टी चलती रही तो उसका बचा-खुचा अस्तित्व भी समाप्त हो जायगा जबकि देश ऐसा नहीं चाहता है।

-जय समता।

सम्पादकीय

''मनुस्मृति वर्सेज काँग्रेस''

हम नहीं चाहते कि मनुस्मृति को सम्पादकीय का विषय बनाया जाये। हम इस ग्रंथ के विरोधी नहीं हैं। हमारा साफ मानना है कि धरती पर मानव स्वभाव को संहिताबद्ध करने वाला यह पहला ग्रंथ है। हमारा तो ये भी मानना है कि यह दुनिया के सभी संबिधानो का बीज है। लगभग 204 देशों में बंटी इस धरती पर शासन पद्धति राजशाही, तानाशाही, सैनिकशाही अथवा संसदीय लोकतंत्र ही क्यों ना हो। सभी का अपना एक संविधान जरूर है। और यदि सभी संविधान पढे जाये तो उनमें असंदिग्ध रूप में मनुस्मृति का अंश अवश्य मिलेगा।

कभी भी इस विषय अर्थात मनुस्मृति को मूल विचार के रूप में लेने की आवश्यकता हमें इसलिये महसूस नहीं हुई कि पहले छुटभैया पार्टियाँ अथवा जातिवादी अनपढ़ लोग इसका उल्लेख करते थे। यहाँ तक कि 2015 से 2017 तक ठस दिमाग लोगों ने जयपुर हाईकोर्ट परिसर में खड़ी मनु की प्रतिमा को हटाने के लिये देशभर में आन्दोलन चलाया तो प्रदेश में सक्रिय चाणक्य गण समिति ने 17 दिसम्बर 2017 को जयपुर में मनु प्रतिष्ठा समारोह मनाकर एक खुली बहस का मंच सजाया। (दिवंगत) संवित सोमगिरी जी की अध्यक्षता में हुए इसे आयोजन में मुख्य अतिथि इन्द्रेशजी के साथ वेदपाल शास्त्री, लोकेश सोनवाल, पाराशर नारायण शर्मा ने खुलकर विचार प्रकट किये। इसकी प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र से आई दो महिलाओं ने मनु की प्रतिमा पर कालिख पोतने का कुत्सित काम भी किया। उसके बाद से हथियार बंद सुरक्षाकर्मी नियुक्त कर दिये गये। किंतु, हमने उसे सम्पादकीय विषय नहीं बनाया।

लेकिन अब !! देश की सबसे पुरानी और बडी पार्टी काँग्रेस ने मनुस्मृति को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है तो हमें कठोरता से कहना पड़ रहा है कि पार्टी को अब भारत की पहचान याद नहीं है। पिछले 20-22 सालों से ये पार्टी अपने एक कार्यकर्ता को स्थापित करने का प्रयास किया है और असफल रही है। देश को विपक्ष की कमी चुभ रही है। वही काँग्रेस अब अपना वर्चस्व वापस बनाने का मानस लेकर मनुस्मृति को हथियार के रूप में लेकर निकली है। यह शर्मनाक है।

बेहतर होता कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस गृहमंत्री के बयान को सदाशयता से लेकर कहती कि अकेले डॉ. अम्बेडकर का नहीं बल्कि 298 संविधान सभा सदस्यों के नामों का भी समान रूप से सम्मानित होना चाहिये। यदि सच को जानते-बूझते भी यदि अम्बेडकर के पक्ष में मनुस्मृति को हेय और कथित रूप से अम्बेड़कर के संविधान को श्रेय मानती है तो उसे याद कर लेना चाहिये कि शुरू के मात्र 75 सालों में जिस संविधान में लगभग सवा सौ संशोधन हो चुके हैं? बावजूद इसके यदि भारतीय संविधान को केवल एक व्यक्ति का लिखा हुआ मानना तत्कालीन भारत के 33 करोड़ लोगों का अपमान तो है ही वरन् पूरी दुनिया के सामने 140 करोड़ लोगों के देश भारत को कमतर घोषित करना है कि इतना बड़ा देश मात्र एक व्यक्ति के लिखे संविधान से संचालित हो रहा है? इस मुद्दे पर हम काँग्रेस के साथ, नहीं है।

जय समता।

-योगेश्वर झाड़सरिया-

अम्बेडकर-अम्बेडकर-अम्बेडकर संसद से सड़क तक अम्बेडकर

संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा. ''अभी एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बडेकर..... इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता'' - उनके इस कथन के ठीक बाद सदन मानों उबल पड़ा। पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप की बाढ आ गई। प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेस ने जहाँ इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर अम्बेडकर को अपमानित करना बताया वही भाजपा के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तथ्यपरक ढंग से जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने ही शुरू के दिनों में अम्बेडकर को सदन में नहीं पहुंचने दिया। अवसर का लाभ उठाकर अम्बेडकरबादी गोलबन्द होकर जय भीम, जय भीम के नारे लगाने लगे।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृहमन्त्री के कथन को अपमानजनक उच्चारण बताते हुए इससे जुड़े संविधान के मुद्दे पर विशेष बहस की मांग की तो भाजपा ने तत्काल इस मांग को स्वीकार करके बहस करना स्वीकार कर लिया लेकिन सरकार अडानी प्रकरण पर बहय नहीं करने को अडिग दिखाई दी। गर्मा- गर्मी इतनी बढ़ी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लीकार्जुन खडगे ने अमितशाह के स्तीफे की माँग करते हुये प्रधानमंत्री से यहाँ तक मांग कर दी कि वे गृहमंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।

खड़गे द्वारा गृहमंती को बर्खास्त करने की माँग पर प्रधानमंत्री ने दूसरे तरीके से जवाब देते हुए छः ट्वीट करके शाह की टिप्पणी का समर्थन किया। भाजपा का कहना है कि अम्बेडकर के साथ जिस तरह का बर्ताव काँग्रेस ने किया वह एक काला अध्याय है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने एक बार नहीं दो बार अम्बेडकर को चुनाव में हराया तथा पं. नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। इसके अलावा पूरे शासनकाल में अम्बेडकर को भारत रत्न देने की घोषणा नहीं की। यही नहीं अपने लम्बे शासनकाल में संसद के प्रतिष्ठित सेंट्रल हॉल में अम्बेडकर का चित्र तक नहीं लगने दिया।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि शाह ने कांग्रेस द्वारा अम्बेडकर के अपमान को उजागर करने के लिए जो कहा उससे कांग्रेस हक्का-बक्का है। लेकिन लोग काग्रेस की सच्चाई को जानते हैं। मोदी ने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ ईकोसिस्टम यह सोचता है कि उनके दुर्भाग्यपूर्ण झूठ उनके अनेक वर्षों के कुकृत्यों विशेषत: अम्बेडकर के अपमान को छुपा सकते है तो ये उनका वहम है।

काँग्रेस शुरू से ही मणिपुर, अडानी और अम्बेडकर को मुद्दा बनाकर पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन कर रही है। और जनता की आवाज संसद का चलना पूरी तरह ठप्प कर दिया था। - समता डेस्क

दहेज प्रताड़ना के कानून से भी ज्यादा खतरनाक है एससी एसटी का कानून

दहेज प्रताड़ना कानून के अंतर्गत हुई कार्यवाहियों से परेशान होकर बेंगलुरू के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड कर लेने के बाद अब देशभर में दहेज प्रताड़ना कानून के नाम पर हो रही ज्यादतियों को लेकर चर्चा हो रही है। न्यूज़ चैनलों पर इस कानून के प्रावधानों को लेकर बहस हो रही है।

अधिकांश लोगों का मानना है कि इस कानून की आड़ में निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है। पीड़ित. महिला के बयान के आधार पर ही पति के साथ-साथ साथ सास ससुर, ननद देवरानी आदि रिश्तेदारों को भी मुजरिम बना दिया जाता है। भले ही पीड़ित महिला अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती हो, लेकिन फिर भी ससुराल वालों पर आरोप लगाए जाते हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और अपने केस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। .अतुल सुभाष का कहना रहा कि पुलिस ही नहीं अदालतें ... भी दहेज प्रताड़ना के मामले में न्याय नहीं कर रही है। पुलिस में चल रहे भ्रष्टाचार को भी अतुल ने उजागर किया है। आज देश भर में जिस तरह दहेज प्रताड़ना कानून को लेकर चर्चा हो रही है, वैसी ही चर्चा एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) कानून को लेकर भी होनी चाहिए। इस कानून में भी शिकायतकर्ता के आरोप मात्र पर ही गिरफ्तारी हो जाती है। संबंधित व्यक्ति ने जातिसूचक शब्द बोलकर अपमानित किया या नहीं ।इसकी जांच बाद में होती है। प्रथम दृष्टया यह माना जाता । है कि एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति ने जो बात कही है, वह सही है। गंभीर बात तो यह है कि बिना जांच के गिरफ्तारी होने पर अधीनस्थ अदालतें भी जमानत नहीं देती है। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अधीनस्थ अदालतों को जमानत देने से . घबराना नहीं चाहिए। यदि न्यायाधीश को यह लगता है कि आरोपी व्यक्ति निर्दोष है तो जमानत दी जानी चाहिए। आज जिस प्रकार दहेज प्रताड़ना कानून के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं उसी प्रकार एससी एसटी कानून के दुरुपयोग की भी खबरें आ रही है। रिकॉर्ड बताता है कि एससी एसटी के आधे से ज्यादा मामलों में अदालतों में आरोप लगाने वाला व्यक्ति बयान बदला देता है। कई मामलों में समझौता भी हो जाता है। यह सही है कि समाज में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए एससी एसटी (अत्याचार निवारण) कानून बनाया गया है।

कई मामलों में यह कानून जरूरी भी है, लेकिन देखने में आया है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। यदि किसी श्रमिक को मन मर्जी का मेहनताना नहीं मिला तो वह भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एससी एसटी कानून में मुकदमा दर्ज करवा देता है। कई बार अधीनस्थ कर्मचारी उच्च अधिकारी के खिलाफ भी ऐसा मुकदमा दर्ज करवा देता है। जब रिपोर्ट लिखाई जाती है तो सबसे ज्यादा मौज पुलिस की होती है। बिना जांच के गिरफ्तारी का डर दिखाकर पुलिस अपना स्वार्थ पूरा कर लेती है। ऐसे मामलों में भारी लेनदेन होता है। जो व्यक्ति मोटी राशि देने में असमर्थक है उसे जेल जाना ही पड़ता है। इस कानून के कारण ही आज हजारों लोग बेवजह जेलों में पड़े हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एससी एसटी वर्ग के लोग प्रशासन के साथ-साथ राजनीति में भी उच्च पदों पर बैठे हैं, तब इस कानून के सख्त प्रावधानों पर विचार होना ही चाहिए।

-यतेन्द्र पाण्डेय

पौराणिक कथन : ''गंधर्ववेद''

चार उपवेदों में से एक जो सामवेद का उपवेद है। इसमें लोक शास्त्रीय गायन विधा का वर्णन है।

धौंस दपट की फसलें काटें,
दुष्ट मनुज बस निजता छाँटें,
सबकी अपनी जात बड़ी है-
आओ मिलकर मृदुता बाँटें ।।

कविता

''मनुज जात से हार गया''

मछली जल की रानी है।
कि जाति उसकी पानी है।।

जीवों में सबसे बढकर,
विज्ञानी कुश्ती चढकर,
चाँद सितारे सब पढकर,
मनुज जात से हार गया
अद्भुत एक कहानी है।
मछली जल की रानी है।
कि जाति उसकी पानी है।।

वर्ण व्यवस्था गोल हुई,
कि जाति पोलम पोल हुई,
सारे रिश्ते छुई मुई,
चुप गलियारे संसद के,
सोई सी रजधानी है।
मछली जल की रानी है।
कि जाति उसकी पानी है।।

पहला अब अंतिम दिखता,
पत्थर हीरे सम बिकता,
न्यून यहाँ दिखे अधिकता,
नाला बनता गंगाजल,
संगम सिर्फ जुबानी है।
मछली जल की रानी है।
कि जाति उसकी पानी है।।

दाल भात में दाल नहीं,
कोई पहुँचा नहीं कहीं,
जो ठिठका था खड़ा वहीं,
आसमान की बातें करते,
मरे धरा की नानी है।।
मछली जल की रानी है।
कि जाति उसकी पानी है।।

– वाई. एन. शर्मा –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

जबकि एन.एम.थॉमस मामले में न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है-हम पीछे देख-पढ़ चुके हैं।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

न्यायालय स्वयं वही सबकुछ दोहराता रहा हैं, जिसे वह अनिष्टकारी बताता था। सचमुच जैसा हमारे प्रगतिशीलों की प्रवृत्ति रही है, हर न्यायाधीश पहले सुनाए गए निर्णय में ही नमक-मिर्च लगाकर प्रस्तुत करने के लिए विवश रहा है और इस प्रकार वह अधिकारों को कदम-दर-कदम अनिष्टकारी मोड़ पर ले जा रहा है।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

''पदोन्नति मे आरक्षण की व्यवस्था से केवल उपेक्षित कर्मचारियो की ही निष्ठा या कुशलता मे कमी नही आती, बल्कि इस पकार पदोन्नति करने वाले कर्मचारी या अधिकारी भी संतोषजनक सेवा नही दे सकते। चूँकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त रहेगे कि किसी भी स्थिति मे उन्हे पदोन्नति तो मिलनी ही है, अत: उनकी लगन से कार्य करने की प्रवृति नही रह जाएगी।

माननीय न्यायाधीश आगे कहते हैं, ''यदि कोई विधान(अथवा नियम) इस हद तक पहुँच जाता है तो वह लोकतांत्रिक बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है-'' अत: वास्तविक समानता लाने के लिए समाज में व्याप्त वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग को छूट प्रदान करना अथवा अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग को प्रतिबंधित करके सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।''

परिणामी समानता के बिना अवसर की समानता के सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है; क्योकि अवसर की समानता की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को अपेक्षाकृत कम उन्नत लोगों के नीचे दबाने में मदद मिले

अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो-वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

क्या अब इस तथ्य का कोई अर्थ नही रहा कि सभी कर्मचारी एक वर्ग के रूप में होते है और एक वर्ग के भीतर भेदभाव नही किया जा सकता?

एसटी आरक्षण पर छिड़ी नई जंग

ट्राइबल सांसद रोत का बड़ा बयान-बोले- आरक्षण 4 सब कैटेगिरी में बंटे

राजस्थान में एसटी आरक्षण के वर्गीकरण की मांग तेज हो गई है। आदिवासी समुदाय से आने वाले डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एसटी आरक्षण को 4 हिस्सों में बांटे जाने की मांग की है। जिसमें अनुसूचित क्षेत्र, डीटीएस, हाड़ौती क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र शामिल है।

रोत ने सब केटेगरी की मांग पर कहा कि ये मांग तो लंबे समय से ही है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में एसटी आरक्षण को 4 सब कैटेगिरी में विभाजित किया जाए। यह सब कटेगिरी क्षेत्रीय आधार पर हो ना की जातिय आधार पर। पूर्व में यहां एसटी आरक्षण को जातिय आधार पर बांटने का षडयंत्र किया गया। जातीय आधार पर भील मीना, सहरिया, गरासिया, दामोर, दामरिया, धनका, मीना, नायक, पटेलिया सहित 12 सब कैटेगिरी हैं। इससे एसटी वर्ग ही आपस में लड़ेगा, वहीं क्षेत्रीय आधार सिर्फ 4 श्रेणी में ही विभाजित करना होगा।

रोत ने क्षेत्रीय आधार पर शेड्यूल एरिया और नोन शेड्यूल एरिया में बदलाव पर कहा कि क्षेत्रीय आधार पर हम चार सब कैटेगिरी की मांग कर रहे हैं, इसमें शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया के अलावा, डेजर्ट एरिया व चंबल के आस-पास के हाड़ौती क्षेत्र को क्षेत्रीय आरक्षण में जोड़ने की मांग कर रहे हैं।

रोत ने क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण का विभाजन किस तरह से किया जाएगा पर बताया कि हमारी डिमांड है कि कुल 12 प्रतिशत एसटी आरक्षण में से 6 से साढ़े 6 प्रतिशत शेड्यूल एरिया को, ढाई प्रतिशत डेजर्ट एरिया, डेढ़ प्रतिशत हाड़ौती क्षेत्र और शेष राजस्थान के एसटी के लिए ओपन एरिया रिजर्वेशन हो। इसके लिए इन क्षेत्रों को भी नोटिफाई किए जाने की जरूरत है।

हम काफी समय से डेजर्ट ट्राइबल को अलग से आईडेंटीफाइ करने की मांग कर रहे हैं। यहां मरुथलीय क्षेत्र में ट्राइबल जनसंख्या बहुत बड़ी संख्या में है। उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पर एसटी के लिए 45 प्रतिशत, एससी के लिए 5 प्रतिशत और 50 प्रतिशत ओपन आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है।

साल 2013 से अब तक यहां कांस्टेबल की भर्ती 2400 पदों पर हुई। इनमें एसटी आरक्षण के आधर पर हमें 1040 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 828 पद ही मिले।

यही स्थिति आरएएस भर्ती में भी हुई। साल 2013 से 2018 तक यहां आरएएस वेकेंसी में टीएसपी से एक भी बच्चे का चयन नहीं हुआए क्योंकि विज्ञप्ति की शर्त थी कि टीएसपी और नोन टीएसपी में से एक विकल्प भरना होगा। जब परीक्षा हुई को टीएसपी में सिर्फ तहसीलदार तक के पद ही दिए गए। आरएएस के पद नोन टीएसपी में दे दिए गए।

आरक्षण कोटे में कोटे की मांग पर एसटी वर्ग में विरोध पर बोले कि जो लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं वे लोग हमारी मांग से सहमत होंगे। बारां में सहरिया जाति को अलग से आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। लेकिन हम जाति आधार पर नहीं क्षेत्रीय आधार पर चाहते है, आरक्षण हमारा अधिकार है, यह कब और कैसे लेना है हम तय करेंगे।

वंचित समाज आरक्षित वर्ग में उपवर्गीकरण मांग का समता आंदोलन भरतपुर ने किया समर्थन

भरतपुर 12 जनवरी, वंचित आरक्षित समाज ने आरक्षित वर्ग उपवर्गीकरण मांग को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया गया। समता आंदोलन समिति भरतपुर के वैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों ने रेली का लक्षण मंदिर चौक पर समता आंदोलन के पटके पहनाकर सम्मान व स्वागत किया गया व इनकी उपवर्गीकरण की मांग का पुरजोर समर्थन किया। महेश बाल्मीकी ने कहा कि 2019 में विधान सभा चुनाव में मेरा समता आंदोलन ने भरपूर समर्थन व सहयोग दिया। समता आंदोलन से उपवर्गीकरण में सहयोग की अपील की। समता आन्दोलन समित्ति हमेशा शोषित वंचित पीड़ित के कल्याण की बात करता है एवं इस वाजिव मांग का समर्थन करता है व समता आंदोलन का आरक्षित प्रकोष्ठ इस के लिए न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहा है। समता आंदोलन केन्द्र व राज्य सरकार से अपील करता है कि 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के । उपवर्गीकरण निर्णय के लागू कर शोषित वंचित पीडित की उनको न्याय प्रदान की मांग करता है। इस अवसर पर समत्ता आंदोलन के संभाग अध्यक्ष हेमराज गोयल, जिलाध्यक्ष केदार नाथ पाराशर, शहर अध्यक्ष सुनील कुमार बंसल, जिला सचिव दिलीप कुलश्रेड, शहर सचिव मनीष कुमार, जिला कोषाध्यक्ष योगेश कुमार जैन, वरिष्ठ सदस्य अशोक कुमार सारस, शुभनेश पाराशर, विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष व्यापार संघ दही वाली गली गोपाल राम सिंघल, सेवानिवृत्त भू-निरीक्षक व राजपूत समाज जिलाध्यक्ष रेवेन्द्र सिंह, ब्राह्मण सभा के सदस्य पुष्पेन्द्र लवानियां, अशोक लवानियां नरेश चतुर्वेदी, अजीत लवानियां, कायस्थ समाज जिलाध्यक्ष कान्ति स्वरुप सक्सैना, ओमप्रकाश शर्मा, नेमीचंद, अनिल गर्ग, राकेश शर्मा, मंगतू राम अनेक सामाजिक संगठनों के गणमान्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

राजस्थान में एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण मांग के लिए प्रेस वार्ता

राजस्थान में एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर आरक्षण के लाभ से वंचित समाज ने हुंकार भरी है। आरक्षण से वंचित एससी-एसटी समाज संघर्ष समिति, राजस्थान के बैनर तले आरक्षण से वंचित 40 से अधिक जातियों के प्रमुख लोगों की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक पिंकसिटी प्रेस क्लब में बुलाई गई।

आरक्षण समिति के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रामधन टिटानिया ने बताया कि अनुसूचित जाति-, जनजाति आरक्षण में उप वर्गीकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने गत 1 अगस्त 2024 को निर्णय दिया थाए जिसे हरियाणा सरकार की तरह राजस्थान में अतिशीघ्र लागू किए जाने को लेकर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें वंचित समाज से सांसी, वाल्मीकि, बावरी, नायक, धानक, भील, कंजर, गरासिया, नायक, धानका, कालबेलिया, बेड़िया, नट, गिहारा, बाजीगर, जीनगर, भाट, कुचबंद सहित करीब 40 से अधिक जातियों के प्रमुख लोग एकत्र हुए। आंदोलन को गति देने के लिए प्रदेश कोर कमेटी, संरक्षक मंडल, प्रदेश कार्यकारिणी, संभाग प्रभारी, संभाग संयोजक, जिला संयोजक, सह संयोजकों की घोषणा की गई। समिति के प्रदेश संयोजक राकेश बिदावत ने कहा कि आरक्षण में उप वर्गीकरण राजस्थान में अतिशीघ्र लागू हो ताकि वंचित समाज को उनका हक मिल सके। यदि वर्गीकरण जल्दी लागू नहीं किया गया तो वंचित समाज चुप नहीं रहेगा। प्रदेश स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस दौरान एससी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया और कमलकांत भील ने भी संबोधन दिया।

समाज की प्रमुख मांगें

संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग में उसका लाभ अभी तक नाम मात्र की 5 -6 जातियों को ही मिला है। अधिकांश वंचित जातियों का समूह आजादी से ही हासिये पर है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एससी-एसटी आरक्षण में उप- वर्गीकरण का निर्णय संविधान सम्मत है। राजस्थान राज्य में आरक्षण से वंचित समाजों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बद से बदतर है।

''हम किसी को दलित नहीं कहना चाहते-'' शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद

दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता। ये बात बार-बार उठाई जाती है। गुरु रैदास अर्थात रविदास ! वो दलित थे कि नहीं थे? आपकी (मीडिया) की परिभाषा में। हम तो दलित शब्द से ही चिढ रखते हैं, किसी को दलित नहीं कहना चाहते लेकिन मजबूरी है कि ये पहचान बना दी गई है। तो रविदास के मंदिर बने हैं या नहीं? आज उनका रथ निकलता है कि नहीं? उनका जुलूस निकलता है कि नहीं? आप तुलना करवाइये कि रविदास जी को ज्यादा सम्मान हो रहा है या शंकराचार्य का? काशी में गंगा जी के घाट पर रैदास का इतना बड़ा मंदिर है। क्या पूरे काशी नगर में शंकराचार्य का कोई मंदिर है? ऐसी परिस्थिति में हमने कब रोका? अब कोई ब्राह्मण कई कि मैं रविदास बनुगा, कथित दलित कहें मैं शंकराचार्य की गद्दी पर बैठूंगा। ये कौनसा झगड़ा है ? गुरु बनने की बात है तो शकराचार्य भी गुरु बने हैं तुम भी बनो। तो जो व्यक्ति जहाँ से है वहाँ से वो ऊंचा बन सकता है। ''सजातो ये न जातेन, यानि वंशज समुन्नतीम'' वहीं उत्तम माना जाता है जिससे उसके वंश की उन्नति हो। शंकराचार्य बनोगे तो आपके वंश की क्या उन्नति है। आप गुरु रविवास बनो। हमको हमारे ही भाईयो के खिलाफ खड़ा करने की जो राजनैतिक साजिश की गई है हम उसकी निंदा करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है।

महिला आरक्षण: पीआईएल खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के ऊपरी सदनों और दिल्ली विधान सभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही सितंबर 2023 में संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम के तहत कानून में पारित हो चुका है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि एक खंड, जिसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण को नए सिरे से जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास के बाद ही लागू किया जाना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। याचिकाओं में अदालत से 'अपमानजनक' खंड को ''शून्य एब-इनिटो'' घोषित करने की मांग की गई थी।

डॉ. जया ठाकुर द्वारा दायर याचिकाओं में से एक, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील विकास सिंह और वकील वरिंदर कुमार शर्मा ने किया, ने तर्क दिया कि एक विशेष सत्र के दौरान संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित संवैधानिक संशोधन को जनगणना के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। श्री सिंह ने तर्क दिया कि यह तयशुदा कानून है कि किसी संवैधानिक संशोधन को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कि यह संविधान के दायरे से बाहर न पाया जाए।

याचिकाकर्ता ने 1993 के 73वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन का हवाला दिया था, जिसमें महिलाओं को स्थानीय निकाय चुनावों में एक तिहाई प्रतिनिधित्व दिया गया था। डॉ. ठाकुर ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण का विस्तार करने वाले 77वें संवैधानिक संशोधन की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था।

''आप'' ने भी थामा जात का झँडा

दिल्ली-10 जनवरी। बूरी खबर है। सच में आम आदमी पार्टी ने राजनैतिक हाराकिरी का मन बना लिया लगता है। ये पार्टी अन्ना हजारे के आन्दोलन से देश को ये आश्वासन देकर रजिस्टर्ड हुई थी कि वो देश में राजनीति की धारा को बदलने के लिये आई है। लेकिन हाल ही राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल के कथन से ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने दिल्ली के जाटों को आश्वासन दिया है कि ''उन्हें आरक्षण की सूची में शामिल किया जायेगा''- ये आश्वासन ''आप'' की तरफ से अपनी धुरि छोड देने का साफ संकेत दिखाई देता है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in